फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,

किशनगढ अजमेर (राज0)

हनुमान प्रसाद बनाम विनोद कुमार

दीवानी वाद संख्या 33/18

सीआईएस संख्या 34/18

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.02.2026	श्री गोविन्द दास पुरोहित, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से उपस्थित। श्री पवन प्रकाश कुमावत, विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 (1) सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का जवाब प्रस्तुत किया है। जिसकी नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांकित 27-01-2026 एवं बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 (1) सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांकित 03-02-2026 सुनी गई। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पर विचार करें तो इस प्रार्थना पत्र की बहस में उभय पक्षों ने अपने-अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराया है। उभय पक्षों के मध्य यह स्वीकृत स्थिति है कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 15-06-2018 की मूल प्रति प्रतिवादी के पास उपलब्ध है। प्रतिवादी का मुख्य रूप से यह आक्षेप है कि उसने हस्तगत प्रकरण में प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में वह विक्रय पत्र की मूल प्रति को अपने साक्ष्य में प्रदर्शित करवाना चाहता है, वादी चाहे तो इसकी प्रमाणित प्रति को साक्ष्य में प्रदर्शित करवा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय के मत में वादी ने यह वाद इसी विक्रय पत्र दिनांकित 15-06-2018 को अवैध व शून्य घोषित करवाकर निरस्त करने के संबंध में प्रस्तुत किया है। यह दस्तावेज इस वाद का मूल आधार है। ऐसी स्थिति में वादी इस दस्तावेजात की मूल प्रति को प्रतिवादी से तलब करवाये जाने का अधिकारी है एवं यह दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः प्रतिवादी विनोद को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी पेशी पर इस विक्रय पत्र दिनांकित 15-06-2018 की मूल प्रति को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह	

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अब हम प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5(1) सपठित धारा 151 पर विचार करें तो इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रतिवादी ने अपने जवाबदावें के साथ अपना प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया है, परंतु न्यायालय द्वारा इस प्रतिदावे के संबंध में कोई भी तनकी विरचित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार नवीन तनकियात विरचित की जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए-

1- पन्नाराम बनाम रामूराम एकल पीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 1025/18 निर्णय दिनांकित 08-02-2018 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

2- श्रीमती कृष्णा देवी बनाम महेश वगैरह एकल पीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 21486/2017 निर्णय दिनांकित 28-01-2020 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा जो तनकियात दिनांक 11-11-2025 को विरचित की गई, उन तनकियात में प्रतिदावे के आधार पर कोई तनकी विरचित नहीं की गई है। इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावे व इसके जवाब का अवलोकन किया गया। इसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निम्न अतिरिक्त तनकी बनाई जाने के आदेश दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>तनकी संख्या 04-</u>"आया विक्रय पत्र दिनांकित 15-06-2018 पंजीबद्ध करते समय वादी ने प्रतिवादी को यह आश्वस्त किया कि वह प्रतिवादी को वादग्रस्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा संभलाया जाने के पश्चात शेष प्रतिफल राशि 11,50,000/- रूपये प्रतिवादी से प्राप्त करेगा?

...प्रतिवादी संख्या 1

तनकी संख्या 05- आया वादी प्रतिवादी को विवादित भूखण्ड का भौतिक आधिपत्य संभलाये जाने के पश्चात शेष प्रतिफल राशि 11,50,000/- रूपये प्राप्त करने तक विवादित भूखण्ड के संबंध में वांछित स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद होने का अधिकारी है। ...प्रतिवादी संख्या 1

इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण उक्तानुसार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि वह उपरोक्त तनकियात को पर्चा तनकियात पर अंकित करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20-02-2026 को पेश हो।

(संदीप आनन्द)

SUNIL SONI

Steno Gr. II
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.02.13 16:57:11 +0530